-105-

Local Audit Department H.P. Shimla-171009
4144
Date 07 JUL 2017

Form 'A'
[See rule-3 (1)]

No: ASJ: 3/17
Dated 03-07-2017

APPLICATION FOR INFORMATION UNDER THE RIGHT TO INFORMATION ACT 2005

The Public Information Officer/ Assistant Public information Officer O/o The Examiner L.A.D of H.P. Govt.

(Name of the Department from which the information as sought) L.A.D of H.P.

(a) Subject matter of the information 1. Kindly supply the detail of Amounts deposited/collected/entered in pass Books/withdrawn w.e.f. 1-11-1995 to 1-11-1997 in Post Office Jassal of the All the Funds of G.H.S. Jassal Teh. Karsog Distt. Mandi, H.P. Name of Funds were:- Union Fund, Red Cross Fund, Health Funds, Fine Fund, Science Fund and Building Fund

(b) Period to which the information relates month & year 2. Kindly supply the detail of embezzlement/misappropriation and misutilization from these 6 above mentioned Funds with effect from 1-11-1995 to 1-11-1997

(b) Description of the information required 3 Kindly supply the total amount withdrawn from each 6 Funds w.e.f. 1-11-1995 to 1-11-97
4 At what place and by whom the Bills/Vouchers/Receipts of Rs. 1,66,818 were concealed at G.H.S. Jassal w.e.f. 06-97 to 12-06-98

(d) File No. if available Yes, All the Record lies in the office of the Examiner L.A.D. Shimla-2 and at G.H.S. Jassal Teh. Karsog Distt. Mandi, H.P.

(e) Whether the applicant claims exemption as below poverty line family, If yes, attach proof. N.A.

(f) Original Treasury Challan No. / I.P.O. amount and date of deposited application fee under rule 4 be attached 31F 671800 Rs. 10/- attached

7-7-17

AAO
7/07

AAJ

N.B. One copy of this app. is retained for future reference if any.

A.S. Jamjuha
03-07-2017

Applicant A.S. Jamjuha
Name Aman Singh
Address R/o V. Dohag P.O. Jahu Teh. Bhoranj, Distt. Hamirpur, H.P. 176048
Telephone No. 9459336816

I-515/2005 Fin (LA) Vol-8 118-430.7

RTI MATTER/REGD.

Government of Himachal Pradesh,
Local Audit Department

From:

Director,
Local Audit Department,
Himachal Pradesh Shimla-171009

To

Shri Amar Singh, Rtd. Headmaster,
Vill. Dohag, P.O. Jahu,The. Bhoranj,
Distt. Hamirpur, Himachal Pradesh.

Dated : Shimla -9 the...............13 JUL 2017

Subject: **Information under RTI Act, 2005.**

Sir,

I am to refer to your letter No. A.S.J-3/17, dated 03.07.2017 (received in this office on dated 07.07.2017) vide which you have sought the information regarding audit of G.H.S. Jassal, Tehsil Karsog, Distt. Mandi, H.P. w.e.f. 01-11-1995 to 01-11-1997, and to say that this department has audited the accounts of the said school for the period of 04/1983 to 03/1998 in one single audit and the Audit Report thereof consist of 8 (eight) A-4 size pages which can be supplied to you on deposit of further fees of ₹ 53/- (in case you desire the information via registered mail) or ₹ 36/- (via ordinary mail) worked out as under:

		Ordinary Post	**Registered Post**
Application Fees		₹ 10	₹ 10
Fees for information		₹ 16/- **(8 pages @ ₹ 2)**	₹ 16/- **(8 pages @ ₹ 2)**
Postage Charges			
For this letter **(Ordinary post)**	-	₹ 5	₹ 5
For subsequent communication via **Ordinary post**	₹ 15	₹ 15	----
For subsequent communication via **Registered post**	₹ 32	-----	₹ 32
Total Fees		₹ 46	₹ 63
Less Fees already paid ₹ 10		₹ 10	₹ 10
Fees now payable		₹ **36/-**	₹ **53/-**

Yours faithfully,

Public Information Officer-
Cum- Joint Director
Local Audit Department,
H.P.Shimla-171009

-157- RTI MATTER/REGD.

I-515/2005 Fin (LA) Vol-8 - 4307
Government of Himachal Pradesh,
Local Audit Department

From:

Director,
Local Audit Department,
Himachal Pradesh Shimla-171009

4764
01 AUG 2017

To

Shri Amar Singh, Rtd. Headmaster,
Vill. Dohag, P.O. Jahu, The. Bhoranj,
Distt. Hamirpur, Himachal Pradesh.

Dated : Shimla -9 the............... 13 JUL 2017

Subject: Information under RTI Act, 2005.

Sir,

I am to refer to your letter No. A.S.J-3/17. dated 03.07.2017 (received in this office on dated 07.07.2017) vide which you have sought the information regarding audit of G.H.S. Jassal, Tehsil Karsog, Distt. Mandi, H.P. w.e.f. 01-11-1995 to 01-11-1997, and to say that this department has audited the accounts of the said school for the period of 04/1983 to 03/1998 in one single audit and the Audit Report thereof consist of 8 (eight) A-4 size pages which can be supplied to you on deposit of further fees of ₹ 53/- (in case you desire the information via registered mail) or ₹ 36/- (via ordinary mail) worked out as under:

		Ordinary Post	Registered Post
Application Fees		₹ 10	₹ 10
Fees for information		₹ 16/- (8 pages @ ₹ 2)	₹ 16/- (8 pages @ ₹ 2)
Postage Charges			
For this letter **(Ordinary post)**	-	₹ 5	₹ 5
For subsequent communication via **Ordinary post**	₹ 15	₹ 15	----
For subsequent communication via **Registered post**	₹ 32	-----	₹ 32
Total Fees		₹ 46	₹ 63
Less Fees already paid ₹ 10		₹ 10	₹ 10
Fees now payable		₹ 36/-	₹ 53/-

Yours faithfully,

Public Information Officer-
Cum- Joint Director
Local Audit Department,
H.P.Shimla-171009

Urgent. 1/8 A-II IPO be deposited with cashier S/O (A) 1/8/17 A-A-I

My Lord, Kindly supply the requisite information. I.P.O's worth Rs 40/- No. 31F 771363 to 17 1366 are enclose herewith. [illegible] Retd HM. 17/8

RTI Matter

No. I-515/2005 -Fin (LA)-Vol-8 - 4827
Government of Himachal Pradesh,
Local Audit Department.

From;

The Director
Local Audit Department
Himachal Pradesh, Shimla-171009.

To

Shri Amar Singh, Rtd. Headmaster,
Vill. Dohag, P/O Jahu, Teh. Bhoranj,
Distt. Hamirpur, Himachal Pradesh.

Dated, Shimla-171009, the, 02 AUG 2017

Subject:- **Information under RTI Act, 2005.**

Sir,

With reference to your RTI application No. A.S.J-3/17, dated 03-07-2017 (received in this office on 07.07.2017) and subsequent deposit of Rs. 40 on account of further fees by you (received in this office on 01.08.2017) find enclosed herewith the information as requested by you consisting of 8 No. of A- 4 size pages.

In case you are not satisfied with this information you may prefer an appeal before Shri D.D. Sharma, Director, Local Audit Department, H.P. Shimla-9-the designated appellate authority within next 30 days.

Yours faithfully,

(Padam Singh Kanwar)
PIO-cum-Joint Director,
Local Audit Department,
Himachal Pradesh, Shimla-9
Phone No. 0177-2620046

Encl. As above (Page 1 to 8)

*****

राजकीय उच्च पाठशाला जस्सल डाकखाना जस्सल तहसील करसोग जिला मण्डी हिमाचल प्रदेश के निधि लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन ।

अवधि 4/83 से 3/98

भाग-प्रथम

1. गत लेखा परीक्षा प्रतिवेदन :- गत लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित पैरों पर की गई कार्यवाही का सत्यापन करने पर निम्नलिखित टिप्पणियां अपेक्षित है ।

(क) लेखा परीक्षा प्रतिवेदन अवधि 4/76 से 3/80 तक

अवधि 4/76 से 3/80 तक का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन अंकेक्षण के समय प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके बिना इसके उपर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी । अत: इसे ढूंढकर इसके उपर की गई कार्यवाही से इस विभाग को यथासमय अवगत करवाया जाये ।

(ख) लेखा परीक्षा प्रतिवेदन अवधि 4/81 से 3/83 तक

1.	पैरा 3	निर्णीत
2.	पैरा 4(ए)(वी)	निर्णीत
3.	पैरा 5(ब)(वी)(सी)	निर्णीत
4.	पैरा 6(ए)(वी)	अनिर्णीत
5.	पैरा 6(सी)(डी)(ई)	निर्णीत

भाग-दो

2. वर्तमान लेखा परीक्षा :- अवधि 4/83 से 3/98 तक के लेखाओं की वर्तमान लेखा परीक्षा जिसके परिणाम अनुवर्ती पैरों में दिये गये है, जगजीत सिंह, अनुभाग अधिकारी (लेखा परीक्षा) व अजीत सिंह, कनिष्ठ लेखा परीक्षक, द्वारा दिनांक 6.6.98 से 12.6.98 तक जस्सल में की गई । मास 10/83 3/85, 12/85, 6/86, 12/87, 4/88, 5/89, 11/90, 10/91, 12/92, 9/93, 6/94, 5/95, 4/96, 3/97, 10/97 व 3/98 के लेखों की विस्तृत जांच की गई । पाठशाला के लेखाओं से सम्बन्धित समस्त अपेक्षित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया गया ।

3. लेखा परीक्षा शुल्क :- पाठशाला के लेखाओं की अवधि 4/83 से 3/98 तक की लेखा परीक्षा का शुल्क 528/-रूपये (पांच सौ अठाईस रुपये मात्र) बनता है, जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है । शुल्क की राशि को अनुभाग अधिकारी के मांग पत्र संख्या फिन(एल.ए.)(1/95-996 दिनांक 12.6.98 के द्वारा मुख्याध्यापक से रेखांकित द्वारा परीक्षक, स्थानीय निधि लेखा हिमाचल प्रदेश शिमला-2 भिजवाने का अनुरोध किया गया है ।

Information supplied under RTI Act to :
Name of the applicant : Sh. Amar Singh
Whether BPL or not : Not

PIO-cum-
Joint Director,
Local Audit Department
H.P. Shimla - 171009

लगातार पृष्ठ 2 पर...

		रूपये
1.	मिश्रित निधि	128.00
2.	भवन निधि	60.00
3.	रैडक्रास निधि	85.00
4.	स्वास्थ्य निधि	85.00
5.	विज्ञान निधि	85.00
6.	अनुपस्थित दण्ड निधि	85.00
		528.00

4. <u>मिश्रित निधि :-</u>

(क) <u>वाउचर संख्या शुन्य मास 10/83 राशि 514.10रूपये</u>

उपरोक्त वाउचर द्वारा 514.10/=रूपये का खर्चा कियागया दर्शाया गया है जिसके लिए निम्नलिखित टिप्पणियां अपेक्षित है ।

(1) मास 10/83 में कुल 441.30रूपये का खर्चा किया गया था जबकि मिश्रित निधि की रोकड़ वही में 514/=रूपये 10 पैसे का खर्चा बुक किया गया दर्शाया गया है । परिणामस्वरूप 72.80रूपये का अधिक खर्चा बुक किया गया । अत: दोषी व्यक्ति से 72.80रूपये की वसूली करके तुरन्त निधि में जमा करवायें तथा अनुपालना आगामी अंकेक्षण के समय लेखा परीक्षा को दिखाई जाये ।

(ख) (1) वाउचर संख्या शुन्य मास 6/96 राशि 9000/=रूपये
(2) <u>वाउचर संख्या शुन्य मास 7 व 8/96 राशि 4500/=रूपये</u>

उपरोक्त वाउचरों द्वारा 13,500/=रूपये (9000+4500) की राशि मिश्रित निधि से भवन निधि को ऋण के रूप में दी गई दर्शाई गई है । लेकिन शिक्षा संहिता के नियम 136 (ई) के अनुसार यदि एक निधि से दूसरी निधि को ऋण देना हो तो उसमें जिला शिक्षा अधिकारी की पूर्व स्वीकृति लेना आवश्यक होता है । परन्तु उक्त मामले में स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई । अत: जिला शिक्षा अधिकारी की पूर्व स्वीकृति लिए बिना दिये गये ऋणों का औचित्य लेखा परीक्षा को स्पष्ट किया जाये तथा इसकी जिला शिक्षा अधिकारी अंकेक्षण के समय दिखाई जाये ।

(ग) <u>वाउचर संख्या शुन्य मास 3/97 राशि 28/=रूपये</u>

उपरोक्त वाउचर द्वारा 28/=रूपये का भुगतान हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को मास 2/97 के बिजली के बिल को रसीद संख्या 29310 दिनांक 25.3.97 के द्वारा देने हेतु कियागया दर्शाया गयाहै । लेकिन उक्त खर्च निधि के उपर उचित प्रभार नहीं माना जा सकता । अ अनियमित व्यय को उचित स्त्रोत से वहन करके तुरन्त निधि में तथा अनुवर्तन आगामी अंकेक्षण के समय लेखा परीक्षा को दिखाया

(घ) <u>वाउचर संख्या शुन्य मास 7,8/97 राशि 4843/=रूपये</u>

उपरोक्त वाउचर द्वारा दिनांक 16.7.97 को हाथधर

लगातार पृष्ठ 3 पर...

Information supplied under RTI Act to :
Name of the applicant : Sh. Amar Singh
Whether BPL or not : Not.

PIO - Com.
Joint Director,
Local Audit Department
H.P. Shimla - 171009

की निकासी की गई दर्शाई गई है । लेकिन रोकड़ वही में खर्चे का कोई विवरण नहीं किया गया है इसके अतिरिक्त दिनांक 17.7.97 को ग्रीष्म कालीन अवकाश के कारण पाठशाला बन्द थी । इससे ऐसा प्रतीत होता है कि मुख्याध्यापक द्वारा बिना किसी उद्देश्य से इस राशि को डाकघर से निकाला गया तथा इसका दुर्विनियोजन किया गया । अतः यह सारा मामला शिक्षा निदेशक, हिमाचल प्रदेश शिमला के ध्यान में लाया जाता है तथा अनुरोध किया जाता है कि इस मामले की पूरी छानबीन करवाकर की गई कार्यवाही से इस विभाग को यथासमय अवगत करवाया जाये ।

(ङ.) वाउचर संख्या शुन्य मास 11/97 राशि 64/=रूपये

उपरोक्त वाउचर द्वारा 64/=रूपये की राशि का भुगतान हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को मास 10/97 में बिजली के बिल की रसीद संख्या 964455 दिनांक 20.10.97 के द्वारा देने हेतु कियागया दर्शाया गया है । लेकिन उक्त खर्च निधि के उपर उचित प्रभार नहीं माना जा सकता । अतः उक्त खर्च को उचित स्त्रोत से वहन करके तुरन्त निधि में जमा करवाये तथा अनुपालना आगामी अंकेक्षण के समय लेखा परीक्षा को दिखाई जाये ।

(च) वाउचर संख्या शुन्य मास 9/97 राशि 3000/=रूपये

उपरोक्त वाउचर द्वारा 3000/=रूपये की अग्रिम राशि श्री रामचन्द्र पी.टी.आई. को रा0 उ0 पा0 वगशार में छात्राओं की खण्ड स्तरीय खेल कूद प्रतियोगिता जोकि दिनांक 12.9.97 से 15.9.97 व 19.9.97 से 22.9.97 तक आयोजित की गई थी में भाग लेने हेतु दी गई दर्शाई गई है लेकिन अंकेक्षण अवधि तक उक्त अग्रिम राशि का समायोजन नहीं किया गया था । अतः सम्बन्धित कर्मचारी से खर्चे के वाउचर प्राप्त करके 3000/=रूपये की राशि का समायोजन किया जाये अन्यथा दोषी व्यक्ति से 3000/=रूपये की वसूली करके तुरन्त निधि में जमा करवायें तथा अनुवर्तन आगामी अंकेक्षण के समय दिखाया जाये ।

(छ) वाउचर संख्या शुन्य मास 11/95 राशि 160/=रूपये

उपरोक्त वाउचर द्वारा 16000/=रूपये का खर्चा किया गया दर्शाया गया है लेकिन इस सम्बन्ध में कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा को नहीं दिखाया गया और न ही रोकड़ वही में खर्चे का कोई विवरण दिया गया है जिसके बिना 16000/=रूपये के खर्चे की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी । अतः समस्त अभिलेख आगामी अंकेक्षण के समय लेखा परीक्षा को प्रस्तुत किया जाये अन्यथा दोषी व्यक्ति से 16000/=रूपये की वसूली करके तुरन्त निधि में जमा करवायें ।

5. **धन निधि :-**

(1) वाउचर संख्या शुन्य मास 10/83 राशि 500/=रूपये
(2) वाउचर संख्या शुन्य मास 4/84 राशि 1710/=रूपये
(3) वाउचर संख्या शुन्य मास 6/94 राशि 800/=रूपये

उपरोक्त वाउचरों द्वारा 3010/=रूपये का खर्चा किया गया

Information supplied under RTI Act to :
Name of the applicant : Sh. Amar Singh
Whether BPL or not : Not.

PIO-cum-
Joint Director,
Local Audit Department
H.P. Shimla - 171009

है । लेकिन इस सम्बन्ध में कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा को नहीं दिखाया गया और न ही रोकड़ वही में खर्च का कोई विवरण दिया गया है जिसके बिना 3010/=रुपये के खर्च की सत्यता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी । अतः समस्त अभिलेख आगामी अंकेक्षण के समय दिखाया जाये अन्यथा दोषी व्यक्ति से 3010/= रुपये की वसूली करके तुरन्त निधि में जमा करवाये तथा अनुपालना आगामी अंकेक्षण के समय लेखा परीक्षा को दिखाई जाये ।

6. **रैडक्रास निधि :-**

(क) वाउचर संख्या शून्य मास 12/88 राशि 462.50रुपये

उपरोक्त वाउचर द्वारा 462.50 रुपये का खर्चा 14 नवम्बर मनाने हेतु किया गया दर्शाया गयाहै । लेकिन उक्त खर्च निधि के ऊपर उचित प्रभार नहीं माना जा सकता । अतः 462.50रुपये की वसूली दोषी व्यक्ति से करके तुरन्त निधि में जमा करवाये तथा की गई पालना से इस विभाग को यथासमय अवगत करवायाजाये ।

(ख) (1) वाउचर संख्या शून्य मास 10/95 राशि 500/=रुपये
(2) वाउचर संख्या शून्य मास 11/95 राशि 4692/=रुपये
(3) वाउचर संख्या शून्य मास 4/96 राशि 5500/=रुपये
(4) वाउचर संख्या शून्य मास 5/96 राशि 7000/=रुपये
(5) वाउचर संख्या शून्य मास 6/96 राशि 500/=रुपये
(6) वाउचर संख्याशून्य मास 10/96 राशि 825/=रुपये
(7) वाउचर संख्याशून्य मास 1/97 राशि 125/=रुपये

उपरोक्त वाउचरों द्वारा 19,142/=रुपये का खर्चा रैडक्रासनिधि में से किया गयादर्शाया गया है । लेकिन इस सम्बन्ध में कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा को नहीं दिखायागया और न ही रोकड़ वही में खर्च का कोई विवरण दिया गया है । जिससे यह प्रतीत होता है कि मुख्याध्यापक द्वारा 19,142/=रुपये की राशियों को बिना किसी उद्देश्य से निकाला गया और इनका दुर्विनियोजन किया गया । अतः यह सारा मामला निदेशक, शिक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश,शिमला के ध्यान में भी उचित कार्यवाही हेतु लाया जाता है तथा उनसे अनुरोध है कि इस पूरे खर्च की जांच किसी सक्षम अधिकारी से करवाई जाये तथा यह प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाये कि हाउचर से कि गई 19,142/=रुपये की निकासी को इस निधि में विहित उद्देश्यों पर ही खर्च किया गया है ।

(ग) मास 9/97 में रोकड़ वही का अन्तिम शेष 1294.60रुपये था जबकि मास 10/97 में 1293.85 रुपये ही लिया गयाहै । परिणाम 0.75 पैसे कम लिया गया है । अतः त्रुटि को ठीक किया जाये ।

7. **स्वास्थ्य निधि :-**

(क) वाउचर संख्या शून्य मास 10/83 राशि 523.70रुपये

लगातार पृष्ठ 5 पर....

Information supplied under RTI Act to :
Name of the applicant ; Sh. Amar Singh
Whether BPL or not : Not

PIO-cum-
Joint Director,
Local Audit Department
H.P. Shimla - 171009

-111-

उपरोक्त वाउचर द्वारा 523.70रूपये की राशि का भुगतान मै0 डी0आर0 वोरा एण्ड कंम्पनी लोअर बाजार शिमला को कैश मैमों संख्या 3066 दिनांक 15.10.93 के द्वारा दवाईयां खरीदने हेतु किया गया दर्शाया गया है जिसके लिए निम्नलिखित टिप्पणियां अपेक्षित है :-

§1§ दवाईयों की खरीद से सम्बन्धित मांग पत्र लेखा परीक्षा को नहीं दिखाया गया ।

§2§ सप्लाई आर्डर लेखा परीक्षा को नहीं दिखाया गया ।

§3§ दवाईयों की प्रविष्टि स्टाक रजिस्टर में लेखा परीक्षा को नहीं दिखाई गई ।

§4§ 523.70रूपये के वाउचर को मुख्याध्यापक द्वारा सत्यापित नहीं किया गया है ।

अतः क्रमांक 1 से 4 तक लगाई गई आपत्तियों का निपटारा करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण के समय लेखा परीक्षा को दिखाई जाये ।

§ख§ <u>वाउचर संख्या शुन्य मास 10/95 राशि 50/=रूपये</u>

उपरोक्त वाउचर द्वारा 50/=रूपये का भुगतान मै0 महाजन ट्रेडर्स अलसिंडी को बिल संख्या शुन्य मास 5.5.95 के द्वारा लाईफबाय साबुन खरीदने हेतु किया गया दर्शाया गया है लेकिन उक्त खर्च निधि के उपर उचित प्रभार नहीं है और न ही इसकी प्रविष्टि स्टाक रजिस्टर में लेखा परीक्षा को दिखाई गई । अतः 50/=रूपये की वसूली दोषी व्यक्ति से करके तुरन्त निधि में जमा करवायें तथा अनुवर्तन आगामी अंकेक्षण के समय लेखा परीक्षा को दिखाया जाये ।

§ग§ §1§ वाउचर संख्या शुन्य मास 10/95 राशि 500/=रूपये
§2§ वाउचर संख्या शुन्य मास 11/95 राशि 4524/=रूपये
§3§ वाउचर संख्या शुन्य मास 5/96 राशि 5000/=रूपये
§4§ वाउचर संख्या शुन्य मास 7 व 8/96 राशि 700/=रूपये

उपरोक्त वाउचरों द्वारा 10724/=रूपये का खर्चा किया गया दर्शाया गया है । लेकिन इस सम्बन्ध में कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा को नहीं दिखाया और न ही रोकड़ वही में खर्चे का कोई विवरण दिया गया है । इससे ऐसा प्रतीत होता है कि मुख्याध्यापक द्वारा 10724/=रूपये की राशि को बिना किसी उद्देश्य के निकाला गया और इनका दुर्विनियोजन किया गया । अतः यह सारा मामला निदेशक शिक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला के ध्यान में उचित कार्यवाही हेतु लाया जाता है तथा उनसे अनुरोध है कि 10724/=रूपये की निकासी की जांच अपने विभाग के सक्षम अधिकारी से करवाकर की गई कार्यवाई से इस विभाग को शीघ्र अवगत करवाया जाये ।

Information supplied under RTI Act to :
Name of the applicant ; Sh. Amar Singh
Whether BPL or not : Not

PIO-cum-
Joint Director,
Local Audit Department
H.P. Shimla - 171009

लगातार पृष्ठ 6 पर ....

 112-

8. <u>विज्ञान निधि :-</u>

(क)(1) वाउचर संख्या शुन्य मास 1/96 राशि 299/=रुपये
(2) वाउचर संख्या शुन्य मास 1/97 राशि 800/=रुपये
(3) वाउचर संख्या शुन्य मास 10/97 राशि 100/=रुपये

~~[illegible]~~ उपरोक्त वाउचरों द्वारा 1199/=रुपये की निकासी ट्रायबार से की गई दर्शाई गई है लेकिन इस सम्बन्ध में कोई अभिलेख लेखा परीक्षा को नहीं दिखाया गया और न ही रोकड़ वही में खर्चे का कोई विवरण दिया गया है । अतः समस्त अभिलेख आगामी अंकेक्षण के समय लेखा परीक्षा को दिखाया जाये अन्यथा 1199/=रुपये की वसूली दोषी व्यक्ति से करके ~~=~~ तुरन्त निधि में जमा करवायें तथा अनुवर्तन आगामी अंकेक्षण के समय ~~लेखा परीक्षा~~ दिखायाजाये ।

(ख) <u>वाउचर संख्या शुन्य मास 10/92 राशि 525/=रुपये</u>

उपरोक्त वाउचर द्वारा 525/-रुपये का भुगतान मै0 दुर्गा इन्स्ट्रूमेन्ट कारपोरेशन अम्बाला कैंट को बिल संख्या 364 व 365 दिनांक 18. 10. 89 के द्वारा विज्ञान का सामान खरीदने हेतु किया गया दर्शाया गया है लेकिन उक्त बिलों के वास्तविक भुगतान की रसीदें लेखा परीक्षा को नहीं दिखाई गई और न ही सप्लाई आर्डर लेखा परीक्षा को बताया गया । अतः वास्तविक भुगतान की रसीदें व सप्लाई आर्डर आगामी ~~अंके~~ अंकेक्षण के समय दिखाया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

9. <u>अनुपस्थिति दण्ड निधि :-</u>

(क)(1) वाउचर संख्या शुन्य मास 4/96 राशि 500/=रुपये
(2) वाउचर संख्या शुन्य मास 7/96 राशि 500/=रुपये
(3) वाउचर संख्याशुन्य मास 11/96 राशि 300/=रुपये

उपरोक्त वाउचरों द्वारा 1300/=रुपये की राशि का खर्च किया गया दर्शाया गया है लेकिन इस सम्बन्ध में कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा को नहीं बताया गया और न ही रोकड़ वही में खर्चे का कोई विवरण दिया गया है । जिसके बिना 1300/=रुपये के व्यय की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी । अतः समस्त अभिलेख आगामी अंकेक्षण के समय लेखा परीक्षा को दिखाया जाये अन्यथा दोषी व्यक्ति से 1300/=रुपये की वसूली करके तुरन्त निधि में जमा करवायें तथा अनुपालना आगामी अंकेक्षण के समय लेखा परीक्षा को दिखाई जाये ।

(ख) निम्नलिखित मासों में भिन्न भिन्न कक्षा के विद्यार्थियों से जुर्माने की कम राशि वसूल की गई है । इस राशि को शीघ्र वसूल करके अनुपस्थिति दण्ड निधि में जमा करवाया जाये तथा अनुपालना आगामी अंकेक्षण के समय दिखाई जाये ।

Information supplied under RTI Act to :
Name of the applicant : Sh. Amar Singh
Whether BPL or not : Not.

P-Singh
PIO-Cum-
Joint Director,
Local Audit Department
H.P. Shimla - 171009

लगातार पृष्ठ 7 पर...

-115-

मास	कक्षा	वसूल की गई राशि	राशि जो वसूल करनी थी	राशि जो कम वसूल की गई ।
6/86	नवीं	4.60	5.40	0.80
10/91	आठवीं	2.00	2.30	0.30
7/93	आठवीं	----	2.60	2.60
5/95	छठी	----	0.70	0.70
2/98	सातवीं	---	0.90	0.90
10/97	छठी	---	2.40	2.40
3/98	आठवीं	---	6.70	6.70
				14.40रुपये

10. कम वसूली बारे :-

(क) मास 12/87 में सातवीं कक्षा के 66 छात्रों की बजाये 64 छात्रों से ही फण्ड्स की वसूली की गई है । परिणामस्वरूप 2 छात्रों से 5.40 रुपये की कम वसूली की गई है । अतः 5.40रुपये की वसूली दोषी व्यक्ति से करके तुरन्त निधि में जमा करवायें ।

(ख) 6/97 में विज्ञान निधि की रोकड़ वही का योग 561/=रु. बनता है जबकि 560.50रुपये ही लिया गया है । अतः त्रुटि को ठीक किया जाये ।

(ग) मास 5/89 में भवन निधि की रोकड़ वही का कुल जोड़ 22023.41 रुपये बनता है जबकि जोड़ 22013.41 रुपये ही दर्शाया गया है । परिणामस्वरूप 10/-रुपये कम दर्शाया गया है । अतः 10/=रुपये की वसूली दोषी से करके तुरन्त निधि में जमा करवायें ।

(घ) मास 1/95 में रैडक्रॉस निधि की रोकड़ वही का योग 15443.05रुपये की बजाये 15442.05 रुपये ही दर्शाया गया है । परिणामस्वरूप 1/-रुपये कम दर्शाया गया है । अतः त्रुटि को ठीक किया जाये ।

(ङ.) मास 9/97 में रैडक्रॉस निधि की रोकड़ वही का अन्तिम शेष 1294.60रुपये आता है जबकि मास 10/97 में 1293.85 रुपये ही लिया गया है । परिणामस्वरूप 0.75रुपये कम लिया गया है । अतः त्रुटि को ठीक किया जाये ।

(च) मास 2/98 में रैडक्रॉस निधि की रोकड़ वही का अन्तिम शेष 1732.75 रुपये था जबकि मास 3/98 में 1732.00रुपये ही लिया गया है । परिणामस्वरूप 0.75 पैसे कम लिया गया है । अतः त्रुटि को ठीक किया जाये ।

(छ) मास 6/97 में स्वास्थ्य निधि की रोकड़ वही का योग 0.40पैसे कम लिया गया है । अतः त्रुटि को ठीक किया जाये ।

(ज) मास 1/96 में अ0दु0 दण्ड निधि की रोकड़ वही का योग 1/=रु. कम लिया गया है । अतः त्रुटि को ठीक किया जाये ।

लगातार पृष्ठ 8 पर....

Information supplied under RTI Act to :
Name of the applicant : Sh. Amar Singh
Whether BPL or not : Not

PIO-Cum
Joint Director,
Local Audit Department
H.P. Shimla - 171009

-15-

(झ) मास 3/96 में अ0 दण्ड निधि की रोकड़ वही का जोड़ 1680.77 रुपये था जिसे मास 4/96 में 1672.07 रुपये ही उठाया गया है परिणाम-स्वरूप 8.70रुपये ~~की वसूली दोषी~~ कम लिया गया है । अतः 8.70/=रुपये की वसूली दोषी से करके तुरन्त निधि में जमा करवायें ।

(ह.) मास 9/97 में अ0 दण्ड निधि की रोकड़ वही का योग 1910.67 रुपये आता है जिसे 10/97 में 1902.57 रुपये ही उठायागया है। परिणाम-स्वरूप 8.10रुपये कम उठाया गया है । अतः 8.10रुपये की वसूली करके तुरन्त निधि में जमा करवायें ।

11. <u>रिकार्ड जो लेखा परीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया</u> ।

विभिन्न मासों में निम्नलिखित कक्षाओं के हाजरी रजिस्टर लेखा परीक्षा को प्रस्तुत नहीं किये गये । अतः इनको ढूंढकर आगामी अंकेक्षण के समय लेखा परीक्षा को दिखायें जायें ।

मास 10/83 छठी से दसवीं कक्षा तक का हाजरी रजिस्टर
मास 3/85 छठी से दसवीं कक्षा तक का हाजरी रजिस्टर
मास 12/87 आठवीं कक्षा का हाजरी रजिस्टर

12. <u>लघु आपत्ति विवरणिका</u> :- इसे अलग से जारी नहीं किया गया ।

13. <u>निष्कर्ष</u> :- लेखों के रख-रखाव में उचित सुधार की आवश्यकता है ।

हस्ता/-
सहायक निदेशक,
का0 प्रति स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश , शिमला-171002.

पृष्ठांकन संख्या: फिन(एल. ए.)(एच)2(सी)(15)11)11)50/80, दिनांक, शिमला-2.
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :- 27 NOV 1998

पंजीकृत: 1) मुख्याध्यापक, राजकीय उच्च पाठशाला जरसल तहसील करसोग जिला मण्डी (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर की गई कार्रवाई का सटिप्पण उत्तर इस विभाग को अतिशीघ्र भेजें ।
2) निदेशक, शिक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला-1.
3) जिला शिक्षा अधिकारी मण्डी जिला मण्डी (हिमाचल प्रदेश) ।
4) श्री जगजीत सिंह, अनुभाग अधिकारी (लेखा परीक्षा), द्वारा......

Information supplied under RTI Act to :

Name of the applicant : Sh. Amar Singh

Whether BPL or not : Not.

P. Singh
PIO-Cum-
Joint Director,
Local Audit Department
H.P. Shimla - 171009

यो शर्मा
सहायक निदेशक,
का0 प्रति स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला- 171002.